प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः-15.09.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 14.09.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 507/16 धारा 376/ भादवि व 5m/6 पॉक्सो एक्ट बनाम कल्लू टेलर पुत्र परवन नि0 पंचमपुरवा थाना कोतवाली नगर सीतापुर में पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 14.09.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-14 सीतापुर द्वारा प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों/बयानो के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त कल्लू टेलर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 6 पॉक्सो एक्ट में **आजीवन कारावास व 50,000/- रूपए अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी।

……………………………………………………